



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प २।२३

**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लाखार व भू.अ.नि. रामसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार यू.ए. / नायब तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाखार तहसील यू.ए. व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 128 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	लाखार	128	रामोनासिंह पुत्र पोकराम हिस्सा 1/20 लाखार तहसील निवासी श्रेयास पुत्र खोतेवा	रामसिंह पुत्र पोकराम हिस्सा 1/20 लाखार तहसील निवासी श्रेयास पुत्र खोतेवा

*(Signature)* 20/10/21  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 123/2021

दिनांक :- 20.10.2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार यू.ए. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रामसिंह पुत्र पोकराम हिस्सा 1/20 लाखार तहसील को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली निवासी श्रेयास पुत्र खोतेवा तहसील चूरु

1129  
नाहा-स. 20-10-21

*(Signature)* 20/10/21  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)